कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 12/2019 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री मनरूप सिंह आर्य पुत्र श्री मानसिंह जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ।

--प्रत्यार्थी

आदेश दिनांक:-18.04.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के संबंध में प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित। अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार अपीलार्थी को सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अपीलार्थी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ से पत्र कमांक 331 दिनांक 03.04.2019 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने फर्द अहकाम पर तथ्य अंकित किया है कि सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के पत्र कमांक 331 दिनांक 03.4.2019 का अवलोकन करने से उनके द्वारा पत्र कमांक 942 दिनांक 06.09.2017 से अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 05.8.2017 (09.8.2017) को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अंतरित किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के उक्त पत्र के साथ संलग्न अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 05.8.2017 (09.8.2017) के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत वांछित सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार आदेश प्राप्त होने के पश्चात 10 दिन में उपलब्ध करवाये। अपीलार्थी की वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ तथा लोक सूचना अधिकारी एवं अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ व अपीलार्थी को सूचनार्थ भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ